निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

आदेश

स0स0–11 / टी0बी0(कोर्ट)–20 / 2024– 188.(11) / पटना, दिनाक– 11 / 03 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के विज्ञापन सख्या–01 / 1997 के माध्यम से बी०सी०जी० प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

2 उक्त के आलोक मे निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना के आदेश ज्ञापाक–936(11), दिनाक–15 09 2018 के द्वारा निम्न कर्मियो को नियुक्त करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापाक–981(11), दिनाक–28 09 2018 के द्वारा निम्नलिखित कार्यालयो मे पदस्थापित किया गया।

क्र० सं०	नाम / पदनाम	पदस्थापन स्थान	अवमाननावाद संख्या–1711 / 2016 में पारित न्यायादेश के आलोक में वास्तविक नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1	**श्री अशोक कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, जमुई,	01 10.2018
2	**मो० कमाल युसुफ,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, सारण, छपरा	01 10 2018
3	**मो० अनजार अहमद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, गया,	01 10.2018
4	**श्री वरूणनेन्द्र नारायण पाण्डेय,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, सासाराम	04 10 2018
5	**श्री राम लाल सिंह,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, खगडिया	04 10 2018
6	**श्री बाल्मीकी कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुगेर,	03 10 2018
7	**मो० जाकिर हुसैन,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, गया,	01 10 2018
8	**श्री सुदिष्ट कुमार सिंह,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर,	05.10 2018
9	**श्री रामजन्म भास्कर,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर,	01 10 2018
10	**मो० नेहाल,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, खगडिया,	01 10 2018
11	**श्री अशोक कुमार,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, खगडिया	01.10 2018
12	**श्री भुनेश्वर प्रसाद साह,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुजफ्फरपुर	01 10 2018
13	**श्री ओम प्रकाश चौबे,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, सारण, छपरा	01 10 2018
14	**श्री ललन प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, सारण, छपरा	01 10 2018

15	**श्री राम सागर महतो,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, समस्तीपुर,	01 10 2018
16	**श्री शशि भूषण महतो,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, भागलपुर	01 10 2018
17	**श्री अर्जुन प्रसाद,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी,	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मधुबनी,	01 10 2018
18	**श्री शशिधर कुमार पाण्डेय,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, मुगेर	01 10.2018
19	**श्री जितेन्द्र शर्मा,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, सहरसा,	03 10 2018
20	**श्री सुमिन्द्र चौधरी,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, समस्तीपुर	05 10 2018
21	**श्री महेश चौधरी,** बी0सी0जी0 प्रावैधिकी	जिला यक्ष्मा केन्द्र, नालदा	04 12 2018

3 उपरोक्त कर्मियो की नियुक्ति दिनाक–31 08 2005 के उपरात होने के कारण इन्हे पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त नही हो सका है, जिसके कारण उपरोक्त कर्मियो के द्वारा पुरानी पेशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दायर CWJC NO.10403/2019, रामबली सिह एव अन्य बनाम राज्य सरकार एव अन्य मे दिनाक–12 10 2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अश निम्नवत है –

"6. In this circumstances, this Court decides this case into two category, for first category the petitioners whose rights are disturbed by Memo No 292 (11) dated 25 03.2019, they shall be at liberty to challenge the said order in accordance with law, whereas those petitioners whose name is not given in the said Memo No 292(11) dated 25 03.2019, liberty has been granted to them to pursue by way of filing representation before the authority who shall pass speaking order within a period of four months from the date of receipt of a copy of this order.

7. It is made clear that Government of Bihar, General Administration Department, vide notification 18/PR.SU MI -04-03/2008 SA PR 7528 dated 3 6 2019, has framed a rule, namely, Bihar Government Servant Grievances Redressal Rule, 2019, according to which liberty has been granted to raise their grievances before Service Grievance Redressal Officer"

4 उक्त न्यायादेश का अनुपालन नही होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे MJC NO.3440/2024 अशोक कुमार एव अन्य बनाम् राज्य सरकार एव अन्य दायर किया गया है।

5 उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालन मे वित्त विभागीय सकल्प सख्या–1206(पे0), दिनाक–28 11.2023 मे निहित प्रावधानो के आलोक मे याचिकाकर्ता/आवेदक से विकल्प की माग की गई तथा उक्त सकल्प के आलोक मे कडिका–4 मे पुरानी पेशन योजना से आच्छादित करने हेतु निर्धारित शर्तो के आलोक मे प्रस्तुत मामले की समीक्षा की गयी –

(क) प्रस्तुत मामले से सबधित विज्ञापन वर्ष 1997 मे प्रकाशित हुआ था। इससे स्पष्ट है कि विज्ञापन/रिक्ति दिनाक–01 09.2005 से काफी पूर्व का था।

(ख) उपर्युक्त विज्ञापन सख्या–01/97 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशसा के आधार पर चयनित कतिपय अभ्यर्थियो की नियुक्ति वर्ष 2000 मे पुरानी पेशन योजना के तहत की गई थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना मे दायर अवमाननावाद सख्या–1711/2016 अरविन्द प्रसाद एव अन्य बानाम् राज्य सरकार एव अन्य (सिविल रिव्यू सख्या–133/2003, सुर्दशन प्रसाद सिह एव अन्य बनाम् राज्य सरकार एव अन्य मे दिनाक–10 09 2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) मे दिनाक–31 08 2018 को पारित न्यायादेश के आलोक मे याचिकाकर्ताओ की नियुक्ति वर्ष 2018 मे नयी पेशन योजना के तहत की गई है। यह सकल्प की कडिका–4(ii) की शर्त्त के अनुरूप है।

(ग) प्रस्तुत नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भिक स्तर से ही न्यायिक वादो से अच्छादित रही है, जो सकल्प की कडिका–4 (iii) की शर्त्त के अनुरूप है।

5 उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति एव MJC NO.3440/2024 (Arising out of CWJC NO.10403/2019) अशोक कुमार एव अन्य बनाम राज्य सरकार एव अन्य के अनुपालन मे क्रमाक–01 से 21 तक के बी0सी0जी0 प्रावैधिक को पुरानी पेशन योजना से आच्छादित करने एव विज्ञापन सख्या–01/97 मे बी०सी०जी० प्रावैधिक के प्रथम नियुक्ति की तिथि 16 03.2000 से वैचारिक लाभ एव वास्तविक योगदान की तिथि (कडिका–2 के अकित कर्मियो से सबधित विवरणी के कॉलम–4 मे अकित) से आर्थिक लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6 उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

10/3/26

(डॉ० प्रणय राज शरण सिन्हा)
निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–11/टी0बी0(कोर्ट)–20/2024–188 (11)/ **पटना, दिनांक**– 11/03/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (यक्ष्मा), अगमकुऑ, पटना/अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एव प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुऑ, पटना–7 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सचारी रोग, जिला यक्ष्मा केन्द्र, जमुई, भागलपुर, सारण (छपरा), गया, सासाराम, मधुबनी, मुगेर, खगडिया, समस्तीपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, नालदा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, जमुई, भागलपुर, सारण (छपरा), गया, सासाराम, मधुबनी, मुगेर, खगडिया, समस्तीपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर एव नालदा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सबधित बी0सी0जी0 प्रावैधिक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/26

निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना